राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

जयपुर दिनांक : 31/01/17

क्रमांक:प.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/16/1680

आदेश

राज्य की अधिकांश नगरीय निकायो में लाईसेन्स फीस में गत कई वर्षो से कोई बढोतरी नहीं की गई है तथा लाईसेन्स फीस बढोतरी के लिये कोई प्रयास भी नहीं किये गये है और ना ही लाईसेन्स फीस वसूली में कोई प्रगति हुई है। नगरीय निकायो में कुछ ऐसी गतिविधियां है जिन से संबंधित उपविधियां विरचित/लागू नहीं है, किन्तु नगरीय निकायो में स्थित ऐसी गतिविधि जिनके लाईसेन्स लेना जनहित में आवश्यक है की लाईसेन्स फीस भी नियत किया जाना आवश्यक हो गया है तथा लाईसेन्स फीस वसूली हेतु प्रावधान भी किये जाने आवश्यक है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 105, 325 तथा 337 की उपधारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिकाओं की उपविधियो में लाईसेन्स फीस संबंधी प्रावधान में संशोधन करते हुये वार्षिक लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

क्र. सं.	वर्गीकरण	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका
1.	फाईव स्टार (डीलक्स) होटल	1,00,000	50,000	25,000
2.	फाईव स्टार होटल	75,000	40,000	20,000
3.	चार स्टार होटल	25,000	15,000	8,000
4.	दो एवं तीन स्टार होटल	15,000	7,500	5,000
	नोन स्टार होटल			
5.	होटल्स 10 कमरे तक	5,000	2,500	1,000
6.	होटल 20 कमरे तक	10,000	5,000	2,500
7.	होटल 20 से अधिक कमरो का	15,000	7,500	3,500
8.	रेस्टोरेन्ट (A.C.) 50 चैयर तक	5,000	2,500	1,500
9.	रेस्टोरेन्ट (A.C.) 50 चैयर से अधिक	10,000	5,000	2,500
10.	रेस्टोरेन्ट (Non-A.C.)	2500	1,250	750
11.	कैफे, कैन्टिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्शनरी (Sweetmeat	1,000	600	400
12.	नमकीन के कारखाने एवं	3,000	1,500	750

	मिठाई के कारखाने			
13.	चाट–पकोड़ी फास्ट फूड, डोसा भोजन के मोबाईल वाहन	2,000	1000	500
14.	गैस युक्त शीतल पैय	250	150	100
15.	आईस कीम/आईस फेक्ट्री	3,000	1,500	750
16.	मिनरल वॉटर फेक्ट्री	3,000	1,500	750
17.	ब्यूटी पार्लर	1,000	500	250
18.	जिम	2,000	1000	500
19.	स्वीमिंग पूल	1,000	500	250

नोटः–

1. आवासीय भवनो में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिये कोई नया लाईसेन्स नहीं दिया जावेगा, परन्तु जिन भवनो में पूर्व से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने से लाईसेन्स दिये हुये है, उनका ही केवल नवीनीकरण किया जा सकेगा।
2. लाईसेन्स समाप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लाईसेन्स का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। विलम्ब की स्थिति में लाईसेन्स फीस की राशि का प्रति माह 5 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में वसूल की जायेगी।
3. जिन नगरीय निकायो में पूर्व से ही उपरोक्त उल्लेखित राशि से अधिक राशि लाईसेन्स फीस के रूप में उपविधियो में प्रावधित है तो उस निकाय की उपविधि में प्रावधित लाईसेन्स फीस ही ली जावेगी।
4. इस विभाग के आदेश कमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/14/10838 दिनांक 14.09.2015 के अन्तर्गत जिन प्रकरणो में पूर्व में 10 वर्ष की अवधि के लिये होटल लाईसेन्स का नवीनीकरण किया जा चुका है उन मामलो में उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होगे।
5. जिन नगरीय निकायो में स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) कार्यरत है उन निकयो में स्वास्थ्य अधिकारी लाईसेन्स जारी करने/नवीनीकरण करने का कार्य करेगे। जिन नगरीय निकायो में स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) कार्यरत नहीं है उन निकायो में आयुक्त/जोन उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी लाईसेन्स जारी करने/नवीनीकरण करने का कार्य करेगे।
6. लाईसेन्सी द्वारा उपविधियो की पालना नहीं करने या लाईसेन्स फीस या नवीनीकरण लाईसेन्स फीस जमा नहीं कराने की स्थिति मे मुख्य नगर पालिका अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये बंद कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांकःप.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/16/1681-2114 जयपुर,दिनांक : 3/1/1[illegible]
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव,माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर